तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **लूणी** जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 85/2024 (2024/286) अनवान ऋचा राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	
06-8-2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीनी की खरीद सुदा, कब्जासुदा एवं रेकर्ड खततेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वांशी वाके ग्राम बडलानगर तहसील झंवर जिला जोधपुर में कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 479/4 से आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 483/3 में से सलंग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी तक 30 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उसका राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ते के रूप मे इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार झंवर के पत्रांक/पालना/कोर्ट/2025/153 दिनांक यथा हस्ताक्षर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया है। तहसीलदार झंवर के अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बडलानगर के खसरा नम्बर 481 रकबा 10.09 बीघा में आवागमन के रास्ते हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 483/3 में से कटाणी भूमि रास्ता से खसरा नम्बर 479/4 तक रास्ता चाहा गया था। जिसके लिए बडलानगर के खसरा नम्बर 481 रकबा 1.6916 हैक्टर का अवलोकन करने से पता चला कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 481 खातेदार मीरा देवी पत्नि जगाराम पटेल सा. झंवर के नाम दर्ज है। जो खातेदार ऋचा राजपुरोहित द्वारा पूर्ण खसरा बेचान करने पर जरिये ना.संख्या 321 दिनांक 01.10.2024 से खातेदार मीरा देवी के नाम दर्ज हो गया। वर्तमान उक्त खातेदारी में वादीनी ऋचा राजपुरोहित के नाम दर्ज नही है। वादीनी यहा की निवासी नही होने से संपर्क नही हो पाया। वर्तमान में मौके अनुसार रास्ते संबधी कोई विवाद नही है। अतःतहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	